

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1084 / 2012

संस्थापन दिनांक 31.12.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—भारतसिंह पुत्र गनपतसिंह जाटव उम्र 46 वर्ष,

निवासी रठियन मोहल्ला थाना गोहद जिला भिण्ड

2—बालाराम पुत्र गनपतसिंह जाटव उम्र 63 वर्ष निवासी

त्रिमूर्ति नगर थाना गोला का मंदिर जिला ग्वालियर

3—सीताराम पुत्र मोहरमन जाटव उम्र 32 वर्ष निवासी

मुंशीसिंह का पुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 504, 323/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भादस के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.11.12 को रात्रि करीब 8 बजे या उसके लगभग फरियादी होतमसिंह अ0सा01 के घर के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी होतमसिंह अ0सा01 की धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.12 को रात्रि 8 बजे फरियादी होतम अ0सा01 को आरोपी सीताराम ने आवाज देकर बुलाया कि यहां आओ और वह एवं आरोपी भारत आपस में बात कर ले फिर उसने थोड़ी दूरी पर खड़े भारतसिंह व बालाराम से बात की तथा राजीनामा करने से मना कर दिया इसी बात पर आरोपी भारत व बालाराम उससे गाली गलौच कर उसकी लातघूंसे से मारपीट करने लगे। आरोपी भारत ने उसके चाकू मारा जो उसके

दाहिने हाथ के पोंहचा में लगा जिससे घाव होकर खून निकलने लगा मौके पर उसका भाई कल्लू व चाचा मुन्नालाल व भोलाराम आ गये जिन्हें देखकर आरोपीगण भाग गये। तत्पश्चात् फरियादी होतम अ0सा01 की रिपोर्ट पर थाना एण्डोरी में अदम चैक प्र0पी-1 कता किया गया जिस पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 93/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.11.12 को रात्रि करीब 8 बजे या उसके लगभग फरियादी होतमसिंह अ0सा01 के घर के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी होतमसिंह अ0सा01 की धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

///विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष ///

5. साक्षी होतम अ0सा01 ने कथन किया है कि 7-8 माह पूर्व पुराने केस की बात पर आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिसमें झूमाझटकी हो गयी थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना एण्डोरी में की थी रिपोर्ट प्र0पी-1 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी भारतसिंह ने उसे चाकू मारा जिससे उसे खून निकल आया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 एवं रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. उक्त साक्षी मामले में महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने स्वयं को आई चोट चाकू से पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 13.11.12 को रात्रि करीब 8 बजे या उसके लगभग फरियादी होतमसिंह अ0सा01 के घर के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी होतमसिंह अ0सा01 की धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भादस के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0